न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 14/2020 **दायर दिनांकः 06/02/2020**

उनवान

1. औमप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र नन्दकिशौर
2. राजेन्द्र कुमार आयु 46 वर्ष पुत्र नन्दकिशौर
3. राधाबाई आयु 40 वर्ष पुत्री नन्दकिशौर जातियान अहीर निवासीगण मनोहरपुर तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

वादीगण

बनाम

1. नन्दकिशौर आयु 80 वर्ष पुत्र गोरधनलाल जाति अहीर निवासीगण मनोहरपुर तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
2. हरिश आयु 20 वर्ष पुत्र राजेन्द्र कुमार
3. रमा कुमारी आयु 22 वर्ष पुत्री राजेन्द्र कुमार जातियान अहीर निवासीगण मनोहरपुर तह0 अटरू जिला बारा (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 27/02/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एंव माल रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 53 का ख0 न0 1858/1 पश्चिम का रकबा 1.60 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.60 है0 वाके ग्राम एंव माल मनोहरपुर तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 68 का ख0 न0 167 का रकबा 3.90 है0

ख0 न0 671/139 का रकबा 0.41 है0 कुल किता 2 का रकबा 4.31 है0 प्रतिवादीक्रम 1 के आराजी खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र, वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद0 1 मे वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है। जो वादीगण के दादाजी गोरधनलाल के खाते दर्ज थी उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 को पिता गोरधनलाल से प्राप्त हुई थी तथा वादीगण प्रतिवादीक्रम 1 की सन्ताने है। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी को वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से को कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण 1 लगायत 3 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, 1/4 बनता है जिसमे वादीगण का जन्म से ही अधिकार बनता है। मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी हिस्सा 1/4 को अलग से अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन प्रतिवादी क्रम 1 से किया तो प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अलग से नाम दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा वादीगण ने दिनांक 06.01.2020 को प्रतिवादी क्रम 1 से फिर निवेदन किया कि हमारे हिस्से की आराजी 1/4 – 1/4 को हमारे खाते राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज करवाया जावे। परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 ने फिर साफ मना कर दिया जबकि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दर्ज नही होने से वादीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। वादीगण कै0 सी0 सी0 नही बनवा सकते तथा अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले सकते जिससे वादीगण को बहुत नुकसान उठाना पड रहा है। जबकि वादीगण का वाद पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी मे जन्म से अधिकार बनता है। जिसे प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा किये जा रहे अवेधानिक एवं गैर कानुनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है। वादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे से अपने हिस्से 1/4 की आराजी को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वाद कारण प्रथमबार वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से अपने हिस्से की आराजी 1/4 को अपने नाम खाता दर्ज करवाने का निवेदन करने पर तथा प्रतिवादी द्वारा मना करने पर व अन्तिम बार दिनांक 02.02.2020 को दोबारा साफ मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र मे उत्पन्न हुआ। उक्त आराजी पर रहन का नोट हमारे हिस्से की आराजी पर दर्ज कर दिया जावें

जिसमे हमे कोई आपति नही है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल रामपुरिया व मनोहरपुर तहसील अटरू जिला बारां मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद मे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी कम 4 बनाया है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पैश हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 सादिर फरमाई जावें।

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजी मे वादीगण 1 लगायत 3 तथा प्रतिवादी कम 1 के मुताबिक हिस्सा 1/4, 1/4, राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है। जिसमे आज तारीख पेशी नियत है। ग्राम एवं माल रामपुरिया तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 53 की ख0नं0 1858/1 की 1.60 है0 व ग्राम व माल मनोहरपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 68 की ख0नं0 167 की 3.90 है0 ख0नं0 671/139 की 0.41 है0 कुल किता 2 की 4.31 है0 आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जो प्रतिवादी कम 1 की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमे वादीगण व प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 1/4–1/4 बनता है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी कम 1 के मध्य आपसी समझाईस से राजीनामा हो गया है जो राजीनामा निम्न प्रकार है। ग्राम व माल रामपुरिया तहसील अटरू की खाता संख्या 53 की ख0नं0 1858/1 की 1.60 है0 आराजी वादी कम 1 औमप्रकाश के हिस्से में खाते दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जावें। ग्राम व माल मनोहरपुर की खाता संख्या 68 की खसरा नं0 167 की 3.90 है0 ख0नं0 671/139 की 0.41

है0 कुल किता 2 की 4.31 है0 आराजी में वादी क्रम 2 राजेन्द्र कुमार 3 राधा बाई व प्रतिवादी क्रम 1 नन्दकिशोर को हिस्सा 1/3–1/3 को खाते दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। ग्राम व माल मनोहरपुर तहसील अटरू की खाता संख्या 68 की कुल किता 2 की 4.31 है0 आराजी मे से वादी क्रम 3 राधाबाई ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 का हकत्याग प्रतिवादी क्रम 2 हरिश के पक्ष में कर दिया है। ग्राम व माल रामपुरिया तहसील अटरू की खाता संख्या 53 की ख0नं0 1858/1 औमप्रकाश के खाते दर्ज कर दिया जावें व ग्राम व माल मनोहरपुर की खाता संख्या 68 की कुल किता 2 की 4.31 है0 आराजी में वादी क्रम 2 राजेन्द्र कुमार व प्रतिवादी क्रम 1 नन्दकिशोर व प्रतिवादी क्रम 2 हरिश को हिस्सा 1/3–1/3 का कृषक खातेदार घोषित किया जाकर हिस्से को राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी में दर्ज किया जावें।

अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 के मध्य हुए राजीनामे को तस्दीक करने की कृपा करें।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादीगण की पहचान श्री महावीर नागर एड़0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी की पहचान श्री बद्रीलाल नागर द्वारा की गई, राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया। अभिभाषकगण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम रामपुरिया की खाता सं0 53 ख0नं0 1858/1 पश्चिम का रकबा 1.60 है0 रहन एचडीएफसी बैंक बारां खाता संख्या 68 का ख0नं0 167 रकबा 3.90 है0 ख0नं0 671/139 रकबा 0.41 कुल किता 2 रकबा 4.31 है0 रहन एचडीएफसी बैंक बारां जो नन्दकिशोर वादी क्रम 1, 2, 3 के पिता के खाते दर्ज है, जो नन्दकिशोर के पिता गोरधनलाल से प्राप्त हुई है। जो पैत्रिक सम्पत्ति होने से वादीगण का जन्म से अधिकार है। न्यायहित में आपसी सहमति से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 53 ख0नं0 1858/1 रकबा 1.60 है0 व ग्राम मनोहरपुर की खाता संख्या 68 ख0नं0 167 रकबा 3.90 है0 ख0नं0 671/139 रकबा 0.41 है0 कुल किता 2

रकबा 4.31 है0 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

राजीनामें अनुसार ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 53 ख0नं0 1858/1 रकबा 1.60 है0 आराजी वादी क्रम 1 ओमप्रकाश के हिस्से में रहेगी।

ग्राम मनोहरपुर की खाता संख्या 68 की ख0नं0 167 रकबा 3.90 है0 ख0नं0 671/139 रकबा 0.41 है0 कुल किता 2 रकबा 4.31 है0 में वादी क्रम 2 राजेन्द्र कुमार 3 राधा बाई व प्रतिवादी क्रम 1 नन्द किशोर हिस्सा 1/3–1/3–1/3 रहेगी।

खाता सं0 68 की किता 2 रकबा 4.31 है0 आराजी में से वादी क्रम 3 राधा बाई ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 का हकत्याग प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में कर दिया गया है।

अतः ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 53 की खसरा नं0 1858 रकबा 1.60 है0 खाते मे रहेगी। ग्राम मनोहरपुरा की खाता संख्या 68 किता 2 रकबा 4.31 है0 आराजी वादी क्रम 2 राजेन्द्र कुमार व प्रतिवादी क्रम 1 नन्द किशोर व प्रतिवादी क्रम 2 हरिश को हिस्सा 1/3–1/3–1/3 का खातेदार कृषक हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 14/2020

उनवान

1. औमप्रकाश आयु 50 वर्ष पुत्र नन्दकिशौर
2. राजेन्द्र कुमार आयु 46 वर्ष पुत्र नन्दकिशौर
3. राधाबाई आयु 40 वर्ष पुत्री नन्दकिशौर जातियान अहीर निवासीगण मनोहरपुर तह0 अटरू जिला बारा (राज0)

बनाम

1. नन्दकिशौर आयु 80 वर्ष पुत्र गोरधनलाल जाति अहीर निवासीगण मनोहरपुर तह0 अटरू जिला बारां राज0
2. हरिश आयु 20 वर्ष पुत्र राजेन्द्र कुमार
3. रमा कुमारी आयु 22 वर्ष पुत्री राजेन्द्र कुमार जातियान अहीर निवासीगण मनोहरपुर तह0 अटरू जिला बारा (राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 53 ख0नं0 1858/1 रकबा 1.60 है0 व ग्राम मनोहरपुर की खाता संख्या 68 ख0नं0 167 रकबा 3.90 है0 ख0नं0 671/139 रकबा 0.41 है0 कुल किता 2 रकबा 4.31 है0 में वादीगण 1 ल 3 व प्रतिवादी कम 1 को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

राजीनामें अनुसार ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 53 ख0नं0 1858/1 रकबा 1.60 है0 आराजी वादी कम 1 ओमप्रकाश के हिस्से में रहेगी।

ग्राम मनोहरपुर की खाता संख्या 68 की ख0नं0 167 रकबा 3.90 है0 ख0नं0 671/139 रकबा 0.41 है0 कुल किता 2 रकबा 4.31 है0 में वादी कम 2 राजेन्द्र कुमार 3 राधा बाई व प्रतिवादी कम 1 नन्द किशोर हिस्सा 1/3–1/3–1/3 रहेगी।

खाता सं0 68 की किता 2 रकबा 4.31 है0 आराजी में से वादी कम 3 राधा बाई ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 का हकत्याग प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में कर दिया गया है।

अतः ग्राम रामपुरिया की खाता संख्या 53 की खसरा नं0 1858 रकबा 1.60 है0 खाते मे रहेगी। ग्राम मनोहरपुरा की खाता संख्या 68 किता 2 रकबा 4.31 है0 आराजी वादी कम 2 राजेन्द्र कुमार व प्रतिवादी कम 1 नन्द किशोर व प्रतिवादी कम 2 हरिश को हिस्सा 1/3–1/3–1/3 का खातेदार कृषक हकत्याग स्टाम्प शुल्क जमा कराने की शर्त पर घोषित किया जाता है। रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 14:11:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: